न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं. 111/2025

जीसीएमएस सं. 2025/311

अपीलांट्सः–

श्रीमती जडाव देवी पुत्री स्व. श्री देवजी धर्मपत्नी श्री चिमन सिंह, उम्र 58 वर्ष, जाति पुरोहित निवासी देसलसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर।

बनाम

रेस्पोंडेंट्सः–

1. बद्रीसिंह पुत्र स्व. श्री देवजी–फौत के कायम मुकामः–
   1/1 भंवर सिंह पुत्र स्व. बद्री सिंह
   1/2 बाबू सिंह पुत्र स्व. बद्री सिंह
   1/3 नरसिंह पुत्र स्व. बद्री सिंह
   1/4 मूल सिंह पुत्र स्व. बद्री सिंह
   1/5 संपत देवी पत्नी स्व. बद्री सिंह (मृत्यु होने से नाम विलोपित)
   सभी जाति राजपुरोहित, निवासी नारनाडी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
   1/6 शांति पुत्री स्व. बद्रीसिंह पत्नी श्री राम सिंह जाति राजपूरोहित निवासी देसलसर पुरोहितान, तहसील नोखा, जिला बीकानेर।
2. चुन्नी देवी पुत्री स्व. श्री देवजी धर्मपत्नी श्री चौथु सिंह
3. छगु देवी पुत्री स्व. श्री देवजी धर्मपत्नी श्री भंवर सिंह
   दोनों जाति राजपुरोहित निवासी हियादेसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर।
4. इन्द्रा देवी पुत्री स्व. श्री देवजी धर्मपत्नी श्री पृथ्वी सिंह जाति राजपुरोहित निवासी देसलसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर।
5. प्रेरणा राकेश धर्मपत्नी श्री राकेश ओझा, जाति ब्राह्मण निवासी जोधपुर
6. पवन कुमार पुत्र श्री राजाराम जोशी जाति जोशी निवासी हरनावा, तहसील मेडता, जिला नागौर।
7. प्रकाश सारस्वत पुत्र श्री बाबूलाल जाति ब्राह्मण निवासी मकराना, तहसील मकराना, जिला नागौर।
8. आर. आर. सारस्वत पुत्र श्री रतनलाल
9. रोहित सारस्वत पुत्र श्री राधेश्याम सारस्वत जाति ब्राह्मण निवासी बैंगलोर (कर्नाटका)।
10. बंकट श्रीनिवास शर्मा पुत्र श्रीनिवास एस. शर्मा।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

11. सरोज बंकट शर्मा धर्मपत्नी बंकट एस. शर्मा
दोनो निवासी वेस्ट मुंबई, महाराष्ट्र।
12. राजेश ओझा पुत्र श्री घनश्याम ओझा जाति ब्राह्मण निवासी जोधपुर।
13. गीतादेवी धर्मपत्नी श्री पुरूषोतम ओझा
14. सुनीता ओझा धर्मपत्नी श्री गोपाल ओझा
दोनो जाति ब्राह्मण निवासी पीपाडशहर, जिला जोधपुर।
15. रमेश चंद्र सारस्वत पुत्र श्री मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी बिराई घंटियाली, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
16. उषा लोढा धर्मपत्नी श्री जी.एस. लोढा, जाति ओसवाल, निवासी जोधपुर।
17. सीमा गोयल धर्मपत्नी श्री एस.के. गोयल जाति अग्रवाल निवासी जोधपुर।
18. इन्द्र सिंह पुत्र श्री हरचंद सिंह जाति राजपुरोहित
19. देवी सिंह पुत्र श्री तुल्छसिंह, जाति राजपुरोहित
दोनो निवासी सरवडी पुरोहितान, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर।
20. कपिलदेव मिश्रा पुत्र श्री यमुना प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी सोजत तहसील सोजत, जिला पाली
21. डूंगरचंद पुत्र श्री पारसमल जैन जाति ओसवाल निवासी सोजत, तहसील सोजत, जिला पाली।
22. संतोषदेवी ओझा धर्मपत्नी श्री शिवकुमार ओझा, जाति ब्राह्मण निवासी जोधपुर।
23. मोहनसिंह पुत्र श्री जोर सिंह जाति राजपुरोहित निवासी नारवा, तहसील व जिला जोधपुर।
24. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लूणी, जिला जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बविरूद्ध नामांतरकरण सं. 527 ग्राम नारनाडी दिनांक 22.09.1993, जो अति. तहसीलदार, लूणी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया (अपीलांट्स की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित(प्रत्यर्थीगण सं. 1/1 से 1/4 तक की ओर से)
3. अधिवक्ता श्री सुधीर सारस्वत व श्री अशोक पटेल (प्रत्यर्थीगण सं. 5, 6, 10 से 15 तक की ओर से)
4. अधिवक्ता श्री अशोक तिवारी (प्रत्यर्थी सं. 22 की ओर से अनुपस्थित)
5. शेष प्रत्यर्थीगण नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय **दिनांक 25.05.2026**

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–75 के अन्तर्गत, ग्राम नारनाडी का नामांतरकरण सं. 527, जो तहसीलदार, लूणी द्वारा दिनांक 22.09.1993 को पारित किया गया, को अपास्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 17.01.2014 को प्रस्तुत की गई है।

2. अपील प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किए गए। प्रत्यर्थी सं. 1/1 से 1/4 तक की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित व अन्य ने वकालतनामा पेश किया। प्रत्यर्थी सं. 5, 6, 10 से 15 तक की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर सारस्वत, श्री अशोक पटेल व अन्य तथा प्रत्यर्थी सं. 22 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक तिवारी व अन्य ने वकालतनामा पेश किया। प्रत्यर्थी सं. 2 से 4 तक की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रत्यर्थी 22 न तो स्वयं उपस्थित हुए व न ही उनकी ओर से नियुक्त अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा शेष प्रत्यर्थी तामिल बावजूद अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश जारी किये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

3. अपील मीमों में अंकित अभिवचनों अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारवान तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीनी तथा प्रत्यर्थी सं. 01 से 04 के पिता स्व. देवजी की खातेदारी की भूमि ग्राम नारनाडी के ख.नं. 119, 162, 205 व 502 कुल रकबा 45 बीघा 19 बिस्वा आई हुई है। देवजी का वर्ष 1992 में देहांत के पश्चात् उपरोक्त भूमि का अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 527 दिनांक 22.09.1993 को केवल उनके पुत्र प्रत्यर्थी सं. 01 बद्री सिंह व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गैर कंवर के नाम अतिरिक्त तहसीलदार, लूणी द्वारा मृतक खातेदार के समस्त वारिसान की जांच किये बिना दर्ज कर दिया तथा अपीलार्थीनी व प्रत्यर्थी सं. 2 से 4 का नाम दर्ज नहीं किया। इसके बाद मृतक खातेदार की धर्मपत्नी गैर कवंर का भी वर्ष 1997 को देहांत हो जाने के बाद नामांतरकरण सं. 659 अकेल प्रत्यर्थी सं. 1 बद्रीसिंह के नाम सरपंच, ग्राम पंचायत नारनाडी ने पारित कर दिया, जिसकी अपील अलग से प्रस्तुत है।

अपीलार्थीनी मृतक खातेदार स्व. श्री देवजी की पुत्री है तथा उनकी प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है तथा उनके देहांत के पश्चात् उनकी खातेदारी भूमि की खातेदार हो गई है। अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 527 स्व. देवजी के समस्त वारिसान की जांच किये बिना पारित किया गया होने से शून्य आदेश है तथा इस प्रकार के आदेश से अपीलार्थीनी के हक अधिकार समाप्त नहीं होते है तथा अपीलार्थीनी अपने पिता स्व.

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

देवजी की खातेदारी भूमि पर अपने नाम से नामांतरकरण करवाने की अधिकारी है। अपीलाधीन नामांतरकरण अपीलार्थीनी को सुनवाई व सूचना का अवसर दिये बिना पारित किया गया होने तथा प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धांतों के खिलाफ होने से निरस्त योग्य है। अपीलाधीन नामांतरकरण अकेले प्रत्यर्थी सं. 01 व श्रीमती गैर कंवर के नाम दर्ज किया जाना गलत व शुन्य है तथा इस नामांतरकरण के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 1 को तथा इसके पश्चात् प्रत्यर्थी 1 द्वारा प्रत्यर्थी सं. 5 से 23 के पक्ष में गलत हस्तांतरण बेचान के आधार दर्ज किये गये समस्त पश्चातवर्ती नामांतरकरण स्वतः ही शून्य व निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीनी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 527 ग्राम नारनाडी दिनांक 22.09.1993 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे तथा मृतक खातेदार स्व. देवजी के समस्त वारिसान की जांच कर नये सिरे से नामांतरकरण किये जाने हेतु मामला तहसीलदार, लूणी को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश फरमावे।

अपीलांट ने इस अपील को प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 के तहत एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर कथन किया है कि अपीलाधीन नामांतरकरण अपीलार्थी की गैर हाजरी में तथा सुनवाई व सूचना का अवसर दिये बिना पारित किये गया होने से अपीलार्थी को इसकी जानकारी नहीं थी तथा अपीलार्थी दूरदराज की घरेलू महिला होने से अपीलाधीन नामांतरकरण की जानकारी नहीं हो सकी। प्रत्यर्थी सं. 01 द्वारा विवादित भूमि को छोटे–छोटे भूखण्ड काट कर बेचने की सुनने पर अपीलार्थी दिनांक 25.12.2013 को ग्राम नारनाडी आई तथा प्रत्यर्थी सं. 01 से अपीलार्थी के हिस्से में आने वाली भूमि का बंटवाडा करके देने के लिए कहा तो बताया कि विवादित भूमि पिताजी व माताजी के देहांत के बाद तहसीलदार ने मेरे नाम दर्ज कर दी है, आपका खातेदारी में नाम नहीं है, बंटवाडा नहीं दूंगा। इसके बाद दिनांक 03.01.2014 को पटवारी हल्का से अपीलाधीन नामांतरकरण की नकल प्राप्त कर जानकारी से अंदर म्याद पेश है। अपील पेश करने में जानबूझकर किसी प्रकार की कोई देरी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी की अपील को अंदर म्याद पेश होना सुमार करने का आदेश फरमावे।

4. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की अपील पर बहस सुनी गई।

5. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया ने अपील मीमों में अंकित अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन नामांतरकरण मृतक खातेदार के समस्त विधिक उत्तराधिकारियों की जांच किये बिना एवं मृतक खातेदार देवजी की पुत्री अपीलार्थीनी को सुनवाई व सूचना का अवसर दिये बिना अकेले उनके पुत्र के नाम से

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

गैर कानूनी, शून्य व गलत नामांतरकरण दर्ज किया, इस प्रकार के आदेश के विरूद्ध किसी भी प्रकार की म्याद लागू नहीं होती है, जिसके संबंध में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत 1989 RRD Page 45 Lamuram VS State of Raj., 1994 RRD Page 604 Shera Ram VS Mota Ram & Ors, 1994 RRD Page 606 Girja Bai VS Smt. Nathi Bai, 2002 (1) RRT Page 257 Sbobai VS Shimbhu & Ors, 1994 RRD Page 505 Jetha Ram VS Tehsildar, Sojat & Anr. पेश है। म्याद के बिंदु को तय करने से पहले अपील के गुणदोष पर विचार किया जाना आवश्यक होता है जिसके संबंध में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत 1998 RRD Page 319 (High court) Urban Improvement Trust VS Punam Chand पेश है।

प्रत्यर्थी सं. 5 से 14 ने अपीलार्थीनी को विक्रय विलेखों को निरस्त करवाने का वैकल्पिक उपचार होने की लिखित बहस गलत प्रस्तुत की है, जब विरासत का नामांतरकरण गैर कानूनी व शून्य है तब उसके आधार पर पश्चात्वर्ती बेचान के आधार पर दर्ज किये गये नामांतरकरण भी गैर कानूनी व शून्य है, जो निरस्त योग्य है। इस प्रकार का सिद्धांत माननीय राजस्व मण्डल ने 1995 RRD Page 300 जहुरा बनाम जगदीश व अन्य में तय किया है।

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में अपीलार्थीनी का निवेदन है कि अपीलार्थीनी मृतक खातेदार देवजी की पुत्री है तथा उसकी प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है, जिसको उसके पिता की भूमि पर उत्तराधिकारी का कानूनी अधिकार प्राप्त होने से वह अपने नाम नामांतरकरण दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। प्रत्यर्थी सं. 1 ने अपीलार्थीनी को देवजी की पुत्री होने से इंकार नहीं किया है तथा अपीलार्थीनी की अपील व शपथपत्र का कोई खण्डन नहीं किया है। इसलिए अपीलार्थीनी की अपील स्वीकार किये जाने का आदेश फरमावे।

6. प्रत्यर्थी सं. 1 के कायम मुकाम 1/1 से 1/4 के विद्वान अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित ने अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्को का खण्डन करते हुए कथन किया कि हमारी ओर से पूर्व में प्रत्यर्थी सं. 01 की ओर से म्याद बिंदु व गुणावगुण पर लिखित बहस पेश की जा चुकी है, जिसको प्रत्यर्थी सं. 1 के कायम मुकाम 1/1 से 1/4 की ओर से बहस माना जावे।

अपीलार्थी द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलार्थी दिनांक 25.12.2013 को ग्राम नारनाडी आई तथा प्रत्यर्थी सं. 01 से अपीलार्थी के हिस्से में आने वाली भूमि का बंटवाडा करके देने के लिए कहा तो बताया कि विवादित भूमि पिताजी व माताजी के देहांत के बाद तहसीलदार ने मेरे नाम दर्ज कर दी है, आपका खातेदारी में नाम नहीं है, बंटवाडा नहीं दूंगा। इसके बाद दिनांक 03.01.2014 को पटवारी हल्का

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

नारनाडी से अपीलाधीन नामांतरकरण की पूर्ण जानकारी होने का कथन किया है, जो सरासर झूठ व कपोल कल्पित है, क्योंकि अपीलार्थी का पीहर आना जाना खूब रहता है, यह किसी भी रूप में माने जाने योग्य नहीं है कि अपीलार्थी सन् 1993 के बाद कभी भी जोधपुर नहीं आई। प्रत्यर्थी सं. 2 से 4 द्वारा पूर्व में ही दिनांक 29.04.2014 को अपने–अपने शपथ पत्र पेश किये जा चुके है, जिसमें अंकित है कि उक्त जमीन में हम चारों बहिनों का जो बंट था, वह शादी के वक्त गहने व रोकड रूपये प्राप्त कर बंट प्राप्त कर लिया था, उक्त दोनो फौतेदगी म्यूटेशन हम सभी चारों बहनों की सहमति से हमारे भाई बद्रीसिंह के नाम पारित करवाया गया था। उक्त तीनों शपथ पत्र पूर्व से ही पत्रावली पर मौजूद है। जमीनों के भाव बढने से अपीलार्थी की नियत खराब हो गई है और अब उक्त जमीन हडपना चाहती है। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 25.12.2013 व 03.01.2014 को होने के कथन किसी भी रूप से मानने योग्य नहीं है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा जिन भूमियों के बाबत अपील प्रस्तुत की गई है, उक्त भूमियों में से कई खसरों की भूमियां बेचान की जा चुकी है। असाधारण विलंब उपशमन हेतु कारण नहीं दिये जाने पर किसी भी रूप से विलंब को माफ नहीं किया जा सकता। उक्त बिंदु पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति आरआरटी 2007 (2) पेज सं. 939 पेश है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाहर होने से काबिले खारिज है।

प्रत्यर्थी सं. 1 के कायम मुकाम 1/1 से 1/4 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा गुणावगुण पर पेश लिखित बहस अनुसार अपील एक फिस्कल प्रोसिडिंग होने से पक्षकारान के अधिकार भी तय नहीं किये जा सकते है, जबकि अपीलार्थी द्वारा जिन भूमियों के बाबत अपील की गई है, उक्त भूमियों में आने जाने के रास्ते छोडकर छोटे–छोटे भूखण्डों के कई खरीददार खातेदार है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाई जावे। अपीलाधीन नामांतरकरण में विवादग्रस्त आराजी मृतक देवजी की खातेदारी की रही है, यानि जिस पूर्वज देवजी की संपति पर अपीलार्थी अपना अधिकार बता रही है, उनका देहांत दिनांक 09.09.2005 से पूर्व यानि वर्ष 1992 में हो चुका था, जिसके बाबत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. सं. 7217/13 प्रकाश बनाम फुलवंती व अन्य में पारित निर्णय अनुसार पैतृक संपति में दिनांक 09.09.2005 को हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन होने के पूर्व पुत्री को मृतक की मृत्यु दिनांक 09.09.2005 से पूर्व होने पर सहदायिकी सदस्य नहीं होने के कारण किसी भी प्रकार का अधिकार पुत्रों के समान प्राप्त नहीं होगा।

प्रत्यर्थी सं. 2 से 4 द्वारा पूर्व में ही दिनांक 29.04.2014 को अपने–अपने शपथ पत्र पेश किये जा चुके है, जिसमें अंकित है कि उक्त जमीन में हम चारों बहिनों का जो

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

बंट था, वह शादी के वक्त गहने व रोकड रूपये प्राप्त कर बंट प्राप्त कर लिया था, उक्त दोनो फौतेदगी म्यूटेशन हम सभी चारों बहनों की सहमति से हमारे भाई बद्रीसिंह के नाम पारित करवाया गया था। फिर भी यदि अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की है, जो किसी भी रूप से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, जिसे खारिज फरमाया जावे। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील मात्र प्रत्यर्थी सं. 1 के कायम मुकाम व अन्य खरीददारों को तंग व परेशान करने की नियत से इतने अंतराल बाद प्रस्तुत की है क्योंकि जमीनों के भाव बढने से अपीलार्थी की नियत खराब हो गई है और अब अपीलार्थी उक्त अपील के माध्यम से प्रत्यर्थी से बडी राशि ऐंठना चाहती है, जिसका कोई अधिकार नहीं है। अपीलार्थी द्वारा जिन भूमियों के बाबत अपील प्रस्तुत की है, उक्त भूमियों में से कई खसरों की भूमियां बेचान की जा चुकी है और अन्य प्रत्यर्थीगण उक्त भूमियों के खातेदार है जिनके अधिकार इस अपील के जरिये किसी भी रूप से तय नहीं किये जा सकते, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मात्र एक फिस्कल प्रोसिडिंग होने से खारिज फरमाई जावे तथा अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जावे।

7. प्रत्यर्थी सं. 02 से 04 तक का जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसके अनुसार चारों बहिनों को शादी के वक्त खेत खसरा सं. 158, 157, 568, 119, 162, 205 व 502 वाके ग्राम नारनाडी, तहसील लूणी में हम चारों बहिनों का जो बंट था, वह शादी के वक्त गहने व रोकड रूपये प्राप्त कर बंट प्राप्त कर लिया था। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 के पिता का सन् 1992 में देहांत हो जाने से फौतेदगी म्यूटेशन चारों बहिनों की सहमति से माता श्रीमती गैर कंवर व भाई बद्री सिंह (प्रत्यर्थी सं. 1) के नाम से पारित करवाया था। तत्पश्चात् वर्ष 1997 में माता गैर कंवर का देहांत हो गया, जिनका फौतेदगी म्यूटेशन भी चारों बहनों की मौखिक सहमति से बद्री सिंह (प्रत्यर्थी सं. 1) के नाम पारित करवाया था, उक्त दोनो फौतेदगी म्यूटेशन हम सभी चारों बहनों की सहमति से हमारे भाई बद्रीसिंह के नाम पारित करवाया गया था। प्रत्यर्थी सं. 2 से 4 द्वारा उक्त के संबंध में पूर्व में ही दिनांक 29.04.2014 को अपने–अपने शपथ पत्र पेश किये जा चुके है, जिसकी फोटोप्रति जवाब के संलग्न पेश है। अपीलार्थी द्वारा जिन भूमियों के बाबत अपील प्रस्तुत की गई है, उक्त भूमियों में से कई खसरों की भूमियां बेचान की जा चुकी है, जिसकी प्रत्यर्थी सं. 2 से 4 व अपीलार्थी को संपूर्ण जानकारी है।

अपीलार्थी को उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 25.12.2013 को ग्राम नारनाडी आने पर होना बताया है तथा प्रत्यर्थी सं. 01 से अपीलार्थी के हिस्से में आने वाली भूमि का बंटवाडा करके देने के लिए कहा तो बताया कि विवादित भूमि पिताजी

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

व माताजी के देहांत के बाद तहसीलदार ने मेरे नाम दर्ज कर दी है, आपका खातेदारी में नाम नहीं है, बंटवाडा नहीं दूंगा। इसके बाद दिनांक 03.01.2014 को पटवारी हल्का नारनाडी से अपीलाधीन नामांतरकरण की पूर्ण जानकारी होने का कथन किया है, जो सरासर झूठ व कपोल कल्पित है, क्योंकि अपीलार्थी का पीहर आना जाना खूब रहता है, यह किसी भी रूप में माने जाने योग्य नहीं है कि अपीलार्थी सन् 1993 के बाद कभी भी जोधपुर नहीं आई। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाहर होने से काबिले खारिज है।

8. प्रत्यर्थी सं. 5 से 14 की ओर से लिखित बहस पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उनकी ओर से अधिवक्तागण ने बहस में भाग लिया। अपीलांट के पिता स्व. देवजी संयुक्त परिवार के कर्ता खानदान थे। चूंकि संयुक्त हिंदु परिवार में विवाहित पुत्रियां संयुक्त हिंदु परिवार की सदस्य नहीं होती है, विवाह उपरांत पुत्रियां स्व. देवजी के संयुक्त परिवार की सहदायिकी सदस्य नहीं रही। अतः उनका स्व. देवजी की संयुक्त हिंदु परिवार की संपति या भूमि में कोई हक, हिस्सा व अधिकार प्राप्त नहीं होने से अपीलांट यह अपील प्रस्तुत करने की अधिकारी नहीं है। अपीलाधीन नामांतरकरण फौतेदगी के आधार पर, कब्जे की जांच करके भरा गया है। देवजी की मृत्यु उपरांत उनके पुत्र प्रत्यर्थी 1 बद्री सिंह व पत्नी श्रीमती गैर कंवर का विवादित कृषि भूमि पर कब्जा काश्त रहा है। अपीलांट का विवादित कृषि भूमि पर न तो कब्जा काश्त रहा और न ही उसका इस भूमि से कोई लेना देना है।

मौजूदा अपील प्रस्तुत होने से काफी समय पूर्व ही प्रत्यर्थी 1 बद्री सिंह ने विवादित कृषि भूमि को भूखण्डों में विभाजित करते हुए बेचान भी कर दिया है, जिसके म्यूटेशन भी भरे जा चुके थे, वे ही इसका मालिक की हैसियत से उपयोग–उपभोग कर रहे है। पिछले कई वर्षों से रिकॉर्ड ऑफ राईट उनके नाम से है, जो महत्वपूर्ण अधिकार उत्तरदाता/रेस्पोंडेंट व अन्य को प्राप्त हुए है, उन्हे ऐसे अत्यंत ही अस्पष्ट, दुर्भावनापूर्ण, बनावटी आधारों पर समाप्त नहीं किया जा सकता।

अपीलांट ने म्यूटेशन सं. 527 दिनांक 22.09.1993 को 20–21 वर्ष उपरांत बिना किसी आधार के चुनौती दी गई है। अपीलांट ने जानबूझकर झूठे तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है। अतः प्रस्तुत अपील 20–21 वर्ष उपरांत बिना किसी आधार, गलत तथ्यों पर आधारित होने, अत्यंत ही म्याद बाहर होने से इस अपील के गुणावगुण पर विचार ही नहीं किया जा सकता। मात्र म्याद बाहर होने के आधार पर ही काबिल खारिज है।

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अपीलाधीन मूल नामान्तरकरण का अवलोकन किया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा दौराने

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

बहस प्रस्तुत कथनों एवं तर्को पर मनन किया। अपील का गुणावगुण पर निर्णय से पूर्व धारा 5 म्याद अधिनियम प्रार्थना का निस्तारण किया जाना यह न्यायालय उचित समझता है। उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

10. अपीलांट द्वारा यह अपील ग्राम नारनाडी, तहसील लूणी के विरासत के नामान्तरकरण संख्या 527 पर अतिरिक्त तहसीलदार लूणी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.1993 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 17.01.2014 को प्रस्तुत की है, जो लगभग 20 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई।

(i)अपीलांट ने इस अपील को प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 के तहत एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर कथन किया है कि अपीलाधीन नामांतरकरण अपीलार्थी की गैर हाजरी में तथा सुनवाई व सूचना का अवसर दिये बिना पारित किये गया होने से अपीलार्थी को इसकी जानकारी नहीं थी तथा अपीलार्थी दूरदराज की घरेलू महिला होने से अपीलाधीन नामांतरकरण की जानकारी नहीं हो सकी। प्रत्यर्थी सं. 01 द्वारा विवादित भूमि को छोटे–छोटे भूखण्ड काट कर बेचने की सुनने पर दिनांक अपीलार्थी दिनांक 25.12.2013 को ग्राम नारनाडी आई तथा प्रत्यर्थी सं. 01 से अपीलार्थी के हिस्से में आने वाली भूमि का बंटवाडा करके देने के लिए कहा तो बताया कि विवादित भूमि पिताजी व माताजी के देहांत के बाद तहसीलदार ने मेरे नाम दर्ज कर दी है, आपका खातेदारी में नाम नहीं है, बंटवाडा नहीं दूंगा। इसके बाद दिनांक 03.01.2014 को पटवारी हल्का से अपीलाधीन नामांतरकरण की नकल प्राप्त कर जानकारी से अंदर म्याद पेश है। अपील पेश करने में जानबूझकर किसी प्रकार की कोई देरी नहीं की गई है।

अपीलाधीन नामांतरकरण मृतक खातेदार के समस्त विधिक उत्तराधिकारियों की जांच किये बिना एवं मृतक खातेदार देवजी की पुत्री अपीलार्थीनी को सुनवाई व सूचना का अवसर दिये बिना उनके पुत्र व पत्नी के नाम से गैर कानूनी, शून्य व गलत नामांतरकरण दर्ज किया, इस प्रकार के आदेश के विरूद्ध किसी भी प्रकार की म्याद लागू नहीं होती है, जिसके संबंध में अपीलार्थी अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टांत 1989 RRD Page 45 Lamuram VS State of Raj., 1994 RRD Page 604 Shera Ram VS Mota Ram & Ors, 1994 RRD Page 606 Girja Bai VS Smt. Nathi Bai, 2002 (1) RRT Page 257 Sbobai VS Shimbhu & Ors, 1994 RRD Page 505 Jetha Ram VS Tehsildar, Sojat & Anr. पेश किये है। म्याद के बिंदु को तय करने से पहले अपील के गुणदोष पर विचार किया जाना आवश्यक होता है जिसके संबंध में

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

भी प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत 1998 RRD Page 319 (High court) Urban Improvement Trust VS Punam Chand पेश किया है।

(ii)अपीलांट के उक्त कथनों एवं तर्कों का खण्डन करते हुए, प्रत्यर्थीगण ने लिखित जवाब पेश करके बहस में कथन किया है कि प्रत्यर्थी सं. 01 द्वारा विवादित भूमि को छोटे–छोटे भूखण्ड काट कर बेचने की सुनने पर दिनांक अपीलार्थी दिनांक 25.12.2013 को ग्राम नारनाडी आई तथा प्रत्यर्थी सं. 01 से अपीलार्थी के हिस्से में आने वाली भूमि का बंटवाडा करके देने के लिए कहा तो बताया कि विवादित भूमि पिताजी व माताजी के देहांत के बाद तहसीलदार ने मेरे नाम दर्ज कर दी है, आपका खातेदारी में नाम नहीं है, बंटवाडा नहीं दूंगा। इसके बाद दिनांक 03.01.2014 को पटवारी हल्का से अपीलाधीन नामांतरकरण की नकल प्राप्त करने से जानकारी होने का कथन किया है, जो सरासर झूठ व कपोल कल्पित है। प्रत्यर्थी सं. 2 से 4 द्वारा पूर्व में ही दिनांक 29.04.2014 को अपने–अपने शपथ पत्र पेश किये जा चुके है, जिसमें अंकित है कि उक्त जमीन में हम चारों बहिनों का जो बंट था, वह शादी के वक्त गहने व रोकड रूपये प्राप्त कर बंट प्राप्त कर लिया था, उक्त दोनो फौतेदगी म्यूटेशन हम सभी चारों बहनों की सहमति से हमारे भाई बद्रीसिंह के नाम पारित करवाया गया था। उक्त तीनों शपथ पत्र पूर्व से ही पत्रावली पर मौजूद है। जमीनों के भाव बढने से अपीलार्थी की नियत खराब हो गई है और अब उक्त जमीन हडपना चाहती है। असाधारण विलंब उपशमन हेतु कारण नहीं दिये जाने पर किसी भी रूप से विलंब को माफ नहीं किया जा सकता। उक्त बिंदु पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति आरआरटी 2007 (2) पेज सं. 939 पेश है।

मौजूदा अपील प्रस्तुत होने से काफी समय पूर्व ही प्रत्यर्थी 1 बद्री सिंह ने विवादित कृषि भूमि को भूखण्डों में विभाजित करते हुए बेचान भी कर दिया है, जिसके म्यूटेशन भी भरे जा चुके थे, वे ही इसका मालिक की हैसियत से उपयोग–उपभोग कर रहे है। पिछले कई वर्षों से रिकॉर्ड ऑफ राईट उनके नाम से है, जो महत्वपूर्ण अधिकार उत्तरदाता/रेस्पोंडेंट व अन्य को प्राप्त हुए है, उन्हे ऐसे अत्यंत ही अस्पष्ट, दुर्भावनापूर्ण, बनावटी आधारों पर समाप्त नहीं किया जा सकता।

अपीलांट ने म्यूटेशन सं. 527 दिनांक 22.09.1993 को 20–21 वर्ष उपरांत बिना किसी आधार के चुनौती दी गई है। अपीलांट ने जानबूझकर झूठे तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है। अतः प्रस्तुत अपील 20–21 वर्ष उपरांत बिना किसी आधार, गलत तथ्यों पर आधारित होने, अत्यंत ही म्याद बाहर होने से इस अपील के गुणावगुण पर विचार ही नहीं किया जा सकता। मात्र म्याद बाहर होने के आधार पर ही काबिल खारिज है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(iii)प्रत्यर्थीगण की ओर से धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र की बहस में कथन किया है कि अपीलांट ने अपीलाधीन नामांतरकरण दर्ज करने हेतु मौखिक सहमति दी है तथा दिनांक 29.04.2014 को अपीलांट व प्रत्यर्थी सं. 02 से 04 तक की ओर से प्रत्यर्थी 1 के पक्ष में शपथ पत्र भी दिया जा चुका है किंतु प्रत्यर्थीगण द्वारा किसी प्रकार का संपति हस्तांतरण का वैद्य रजिस्टर्ड बेचाननामा, दानपत्र या हकतर्कनामा एवं प्रत्यर्थी 1 के पक्ष में जारी शपथ पत्र इस न्यायालय में पेश नहीं किया है तथा न ही सहमति पत्र पेश किया है। प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस अनुसार निष्कर्ष निकलता है कि अपीलांट देवजी की जायंदा पुत्री है।

चूंकि प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया कि जिससे यह साबित हो सके कि अपीलांट्स को 1993 से ही अपीलाधीन नामांतरकरण की जानकारी थी। मात्र जवाब में लिखने से ही उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। साबित करने का भार/दायित्व प्रत्यर्थीगण पर है एवं जानकारी के तथ्य को साबित करने में असफल रहे है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के संबंध में Bala Krishan v/s Kishna murthi (1998) SCC 123 के न्यायिक दृष्टांत में दिये गये न्यायिक विनिश्चय में प्रतिपादित किया है कि अपील पेश करने में हुए विलंब को कंडोन करने में उदार दृष्टिकोण अपनाया जावे, तकनीकी आधार पर अपील म्याद बाहर मानकर खारिज नहीं की जानी चाहिए। विलम्ब की अवधि के बजाय, विलम्ब का कारण महत्वपूर्ण है। अपीलांट दूरदराज की घरेलू महिला होने एवं नामांतरकरण पर पारित आदेश एकपक्षीय होने एवं उन्हे कानूनी रूप से जानकारी नही होने से अपील निर्धारित म्याद अवधि में पेश नहीं कर सके, इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता तथा इस न्यायालय की सुविचारित राय में अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी बाबत प्रार्थना पत्र में अंकित कारण संतोषजनक, सद्भाविक एवं पर्याप्त प्रतीत होते है। अपीलांट्स ने लापरवाही से अपील पेश नहीं की। अतः प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं प्रकरण की परिस्थितियों के मद्देनजर उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है तथा अपील अंदर म्याद पेश होना सुमार की जाती है।

9. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अनुसार, ग्राम नारनाडी का अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 527 खातेदार देवजी की फौत होने पर उनके जायंदा पुत्र बद्री सिंह एवं पत्नी गैर कंवर के नाम दर्ज किये जाने हेतु खोला गया, जिसमें देवजी के फौत होने पर नामांतरकरण उसके पुत्र बद्री सिंह व बेवा गैर कंवर के नाम दर्ज करने का कॉलम सं. 09 में पटवारी द्वारा अंकन है तथा दिनांक 22.09.2023 को अतिरिक्त तहसीलदार, लूणी

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

द्वारा स्वीकृत किया गया है। कॉलम सं. 7 में देवजी पुत्र आसूजी खातेदार के रूप में दर्ज है। अपीलांट स्वयं को देवजी की पुत्री बता रही है, जिसका खण्डन प्रत्यर्थीगण द्वारा साक्ष्य/सबूत से नहीं किया गया है। अतः हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत अपीलांट्स भी प्रथम वर्ग की वारिसान है। हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में संशोधन करके (09.09.2005 से प्रभावी), पुत्रियों को भी पुत्रों के समान सहदायिकी संपति में बराबर का हिस्सा दिया है तथा दिनांक 20.12.2004 तक के विधिवत रूप से (पंजीबद्ध/डिक्री से) बंटवारा को ही माना है। विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.08.2020 से, प्रकाश बनाम फुलवंती एवं मंगम्मल बनाम टी.बी. राजू एवं अन्य में व्यक्त मत को खारिज (Over ruled) कर दिया है तथा दानम्मा @ सुमन सुपर और अन्य बनाम अमर को भी आंशिक रूप से Over ruled कर दिया है। अतः संशोधन पूर्व की धारा 6 के पंरतुक के तहत सन् 2005 के संशोधन के पूर्व में भी महिला सहदायिकी संपति में हक प्राप्त करने की अधिकारिणी थी, जो इस प्रकरण में भी लागू होता है।

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 की अनुसूची के प्रथम वर्ग में अंकित वारिशानानुसार अपीलांट भी देवजी की जायंदा पुत्री होने से, विवादग्रस्त आराजी में देवजी के अन्य वारिशान के साथ–साथ अपना हिस्सा जरिए उत्तराधिकार (succession) प्राप्त करने की कानूनी रूप से अधिकारिणी है तथा अपीलांट को अपने हकों का निर्धारण करवाने के लिए सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट ने उत्तराधिकार के आधार पर यह अपील पेश की है। बिना जांच किये, एकपक्षीय आदेश से किसी भी उत्तराधिकारी को विरासत से संपति प्राप्त करने के कानूनी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। अपीलाधीन नामांतरकरण अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किये बिना ही एकपक्षीय पारित किया गया है तथा राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, जिसके अनुसार विरासत के नामांतरकरणों में मृतक के सभी कानूनी वारिसान की गहराई से जांच पडताल करके, उनके नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए, परंतु उक्त विधिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है तथा मृतक देवजी के सिर्फ पुत्र व पत्नी का नाम ही नामांतरकरण में दर्ज किया है, जो धारा 8 हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत है तथा अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

10. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार योग्य है तथा अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 527 पर पारित आदेश दिनांक 22.09.1993 अपास्त योग्य

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

है एवं देवजी के उत्तराधिकारियों की जांच करके नामांतरकरण उनके नाम दर्ज करने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

11. परिणामस्वरूप, अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा ग्राम नारनाडी के नामांतरकरण सं. 527 पर अतिरिक्त तहसीलदार, लूणी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.1993 को अपास्त किया जाता है एवं उक्त वादग्रस्त आराजी पर स्वीकृत समस्त पश्चात्वर्ती नामांतरकरण भी अवैध व शून्य होने से अपास्त किये जाते है तथा प्रकरण तहसीलदार, झंवर को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि विवादग्रस्त आराजी के मृतक खातेदार देवजी पुत्र आसूजी के सभी कानूनी वारिसान की गहनता से जांच करे तथा सभी पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त एवं समुचित अवसर प्रदान करते हुए, राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के प्रावधानों की अक्षरतः पालना करते हुए मृतक देवजी के सभी कानूनी वारिसान के नाम विवादग्रस्त आराजी बाबत राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करे। अगर जडाव देवी द्वारा कोई हक तर्क किया गया है तो उसे भी ध्यान में रखा जावे।
12. उभयपक्षकारान दिनांक 22.06.2026 को तहसीलदार, झंवर के समक्ष उपस्थित होंगे। तहसीलदार, झंवर नियमों में निर्धारित अवधि के भीतर प्रकरण का आवश्यक रूप से करे।
13. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख, तहसीलदार, झंवर को तुरंत लौटाया जावे।
14. प्रकरण में लंबित अन्य समस्त प्रार्थना पत्रों (यदि कोई हो तो) का एतद्द्वारा निस्तारण किया जाता है।
15. पत्रावली बाद तामिल एवं तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर।

यह निर्णय आज दिनांक 25.05.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर।